बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2007 का अधिनियम संख्यांक 4)

[29 दिसम्बर, 2006]

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 है। संक्षिप्त नाम।

2. बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 4 के परन्तुक में, ''मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री'' शब्दों के स्थान पर ''महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री'' शब्द रखे जाएंगे। 2006 के अधिनियम 4 की धारा 4 का संशोधन।

———